सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 195 राँची, **गुरुवार**, 29 माघ, 1937 (श०)
18 फरवरी, 2016 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी, 2016

संख्या- परि0वि0- 363/2015-341--केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 (केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि :-

1- **सभी परिवहन यानों में वाहन विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाये जाने की बाध्यता होगी, जो समय-समय पर यथासंशोधित** AIS : 018/2001 **मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम् पूर्व नियत गति का होगा।**

परन्तु, निम्न परिवहन यान जो कि

(i) दोपहिया

(ii) तिपहिया

(iii) चौपहिया साईकिल

(iV) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसके बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ साथ आठ यात्रियों से अधिक नही है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नही होगा।

(V) अग्निशामक

(Vi) एम्बुलेंस

(Vii) पुलिस यान

(Viii) ऐसे यान जिन्हें नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत किया किया गया है कि, उनकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक नहीं है,

में गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग

(i) डम्पर

(ii) टैंकर

(iii) स्कूल बस, के रूप में किया जाता है।

(iV) या, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं

(V) या, वाहनों का कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट करें,

में विनिर्माता द्वारा या विनिर्माता के स्तर पर या व्यवहारी के प्रस्तर पर समय-समय पर यथासंशोधित AIS : 018/2001 **के अनुरूप नियत की गई 60 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता होगी।**

2. ऐसे परिवहन यान जो इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व निबंधित हुए हैं तथा जिसमें कंडिका (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता है, ऐसे यानों के प्रचालनों द्वारा 1 अप्रैल 2016 को या उससे पूर्व कंडिका (1) के प्रावधानों के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट गति का गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता होगी।

3. वाहन में लगाये जानेवाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित व संसूचित गति नियंत्रक विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये व

व लगाये गये गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) ही मान्य होंगे। गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) के साथ राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके।

4. गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) विनिर्माता एजेंसी को केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत् अधिकृत परीक्षण अभिकरण से Type Aproval Certificate AIS : 018/2001 के अनुरूप प्राप्त करनी होगी तथा विनिर्दिष्ट प्रकार के गति नियंत्रक यंत्र को विनिर्दिष्ट वाहन के लिए प्रमाणीकृत किया जाएगा, जिसका उल्लेख एजेंसी द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्गत परीक्षण प्रमाण पत्र में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मॉडल के लिए अधिकृत परीक्षण एजेंसी से अलग से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार उक्त अंकित गति नियंत्रक यंत्र के अलावे अन्य मॉडल के गति नियंत्रक हेतु भी अधिकृत परीक्षण अभिकरण से अलग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

5. ऐसे किसी यान का, जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता है, का निबंधन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना के के प्रावधानों के तहत् यान में गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) नहीं लगाया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रतन कुमार,
सचिव,
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 195–50+30 ।